मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश)

विशेषाधिकार समिति

का

द्वितीय प्रतिवेदन

डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म. प्र. विधान सभा के विरुद्ध सदन में लोक सेवा आयोग के दस्तावेजों का असत्य रूप में उल्लेख करने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन.

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधान सभा में प्रस्तुत)

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2016

मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश)

विशेषाधिकार समिति

का

द्वितीय प्रतिवेदन

डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म. प्र. विधान सभा के विरुद्ध सदन में लोक सेवा आयोग के दस्तावेजों का असत्य रूप में उल्लेख करने के संबंध में दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन.

(दिनांक 18 मार्च, 2016 को विधान सभा में प्रस्तुत)

विषय–सूची

कमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	(दो)
2.	प्राक्कथन तथा प्रक्रिया	(तीन)
3.	प्रकरण के तथ्य	1–2
4.	पत्राचार एवं स्पष्टीकरणात्मक टीप	2–3
5.	समिति का निष्कर्ष एवं अनुशंसा	3–4

परिशिष्ट :

1. प्रकरण के संबंध में सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था। (परिशिष्ट – एक) 5–6
2. तत्कालीन समिति के सदस्यों की सूची (परिशिष्ट – दो) 7
3. डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त सूचना । (परिशिष्ट – तीन) 8–23
4. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधान सभा से प्राप्त स्पष्टीकरण (परिशिष्ट – चार एवं पांच) 24–28

मध्यप्रदेश विधान सभा

विशेषाधिकार समिति का गठन

(वर्ष 2015–2016)

(गठन दिनांक 12 अगस्त, 2015)

सभापति :

1 श्री कैलाश चावला

सदस्य :

2. श्री रामनिवास रावत
3. श्री बाला बच्चन
4. श्री मुकेश नायक
5. श्री जयसिंह मरावी
6. श्री संजय पाठक
7. श्री संजय शर्मा
8. श्री सज्जन सिंह उइके
9. श्री कल्याण सिंह ठाकुर
10. श्री सूर्य प्रकाश मीना

विधान सभा सचिवालय :

1. श्री भगवानदेव ईसरानी	प्रमुख सचिव
2. श्री ए. पी. सिंह	सचिव
3. श्री पुनीत श्रीवास्तव	संचालक
4. श्री अनवारूददीन क़ाज़ी	सहायक संदर्भ अधिकारी

प्राक्कथन तथा प्रकिया

मैं, कैलाश चावला, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर चतुर्दश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधान सभा के विरूद्ध सदन में लोक सेवा आयोग के दस्तावेजों का असत्य रूप में उल्लेख करने के संबंध में विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई थी। जिसे माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा सदन में दी गई व्यवस्था अनुसार **(परिशिष्ट – एक)** दिनांक 15 जुलाई, 2014 को जांच हेतु समिति को सौंपा गया था।

इस संबंध में तत्कालीन समिति **(परिशिष्ट – दो)** द्वारा संबद्ध पक्ष से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं समिति ने बैठक दिनांक 17.07.2014, 22.07.2014, 20.08.2014, 03.09.2014, 22.09.2014, 07.10.2014, 28.10.2014 एवं 01.07.2015 में उस पर विचार किया।

वर्तमान समिति ने इस प्रकरण पर पुनर्विचार कर दिनांक 15.03.2016 को प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे स्वीकार किया और माननीय सभापति को प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

यह समिति इस प्रकरण में पूर्ववर्ती समिति द्वारा किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त करती है।

हस्ता. /–

कैलाश चावला
सभापति,
विशेषाधिकार समिति

प्रकरण के तथ्य

डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन ने संयुक्त रूप से इस आशय की विशेषाधिकार भंग की सूचना दी कि दिनांक 7 जुलाई, 2014 को मांग संख्या पर चर्चा के दौरान श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण के दौरान असत्य कथन किया कि :–

लोक सेवा आयोग रेसीडेंसी, इंदौर के विज्ञापन कमांक – 1, दिनांक 16 मई, 2006, यह 2008 की परीक्षा के लिये विज्ञापन है। इसके पृष्ठ 8 पर पाईंट नं. 4 के पैराग्राफ नं. 4 में अंतिम पंक्तियों में यह उल्लेख है कि कोई भी अभ्यर्थी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कण्डिका कटी होगी या भरी नहीं होगी वह मान्य नहीं होंगे।

कु. रितु चौहान म.प्र. की सेवा में हैं और म.प्र. के मुख्यमंत्री की भांजी हैं उनके आय प्रमाण पत्र में कांट– छांट है, ऐसे में आवेदन निरस्त हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ।

सूचना में उल्लेख किया गया है कि श्री कटारे ने जिस दस्तावेज के आधार पर पढ़कर आरोप लगाये हैं वह 2011 की परीक्षा के लिये है तथा वह राज्य सेवा परीक्षा का फार्म नहीं है। फार्म के पाईंट नं. 3 आवेदन की अंतिम तिथि 20.06.2011 अंकित है जबकि कु. रितु चौहान ने 2008 में राज्य सेवा परीक्षा फार्म भरा है। जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उसमें 16 मई, 2006 कहीं भी नहीं लिखा, न ही 2008 की परीक्षा कहीं लिखा है।

पृष्ठ 8 पर पाईंट नं. 4 राज्य सेवा परीक्षा 2008 का फार्म मात्र छह पेज का है, आठ पेज का नहीं। क्रमांक 19 प्रवेश पत्र के 11वें पाईंट पर जाति प्रमाण पत्र मांगा हैं इसमें कहीं भी आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा है।

श्री कटारे द्वारा कु. रितु चौहान पर प्रमाण पत्र में कांट–छांट करने का आरोप असत्य एवं भ्रामक है। उन्होंने सदन को धोखा देने की नीयत से मिथ्या, जाली अथवा नकली दस्तावेज पढ़े, प्रस्तुत किये और सदन के पटल पर रखे। उक्त कृत्य विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है। **(परिशिष्ट – तीन)**

पत्राचार एवं स्पष्टीकरणात्मक टीप

उक्त प्रकरण के संबंध में श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, म.प्र. विधान सभा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.7.2014, 21.8.2014, 4.9.2014 एवं 13.10.2014 को पत्र भेजे गये।

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.10.2014 में सदन में गलत या असत्य कथन देने के संबंध में बताया कि उसको कोट करने में त्रुटि हो सकती है कि लोक सेवा आयोग के 2011 के विज्ञापन को 2008 के विज्ञापन से जोड़ दिया गया हो क्योंकि सदन में आसन पर बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिन्हें देखकर उनको बहुत कम समय में उद्धरित किया जाता है।

सूचना के साथ सूचनादाताओं ने वर्ष 2008 के राज्य सेवा परीक्षा का 6 पृष्ठीय विज्ञापन भी संलग्न किया है वह न तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित है और न ही प्रमाणित है। श्री कटारे ने यह भी उल्लिखित किया कि सदन में उनके द्वारा लोक सेवा आयोग के जिस विज्ञापन का उल्लेख किया गया है उसे राज्य सेवा आयोग का विज्ञापन निरूपित नहीं किया गया। उसमें सारी बातें जो उन्होंने कहीं, उल्लिखित हैं अतः उनके द्वारा कोई मिथ्या कथन नहीं कहा गया।

उन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि कु. रितु चौहान ने कौन सी परीक्षा दी या नहीं दी उन्होंने तो सिर्फ विज्ञापन क्र. 1 का उल्लेख किया था जिसे पटल पर रखने की अनुमति मांगी थी जो नहीं दी गई।

कु. रितु चौहान के आय प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया किंतु उसके राज्य सेवा परीक्षा या आयोग की किसी अन्य परीक्षा के लिये उपयोग करने के बारे में नहीं कहा गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमीलेयर और आय पिछड़े वर्ग के लिये आवश्यक कर दिये गये हैं पर इस प्रकरण पर कु. रितु चौहान ने वर्ष 2008 में परीक्षा दी है उस वर्ष क्रीमीलेयर के संबंध में शिथिलता कर दी गई थी जबकि इससे अगले व पिछले वर्षो में सम्पन्न हुई सभी परीक्षाओं में लागू रही।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियमों, परिपाटियों तथा प्रथाओं के उल्लंघन को विशेषाधिकार हनन नहीं माना जाता है। **(परिशिष्ट – चार)**

तदुपरांत श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने अपने एक अन्य पत्र क्रमांक 1381, दिनांक 28.10.2014 द्वारा लेख किया कि उनका उद्देश्य सदन अथवा सदन के किसी माननीय सदस्यों की भावना को आहत करने का नहीं था, फिर भी यदि सदन या किसी माननीय सदस्य की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें खेद प्रकट करने में आपत्ति नहीं है। मैं खेद प्रकट करता हूँ। खेद प्रकट करने के उपरांत उनके द्वारा प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध भी किया गया।

(परिशिष्ट – पांच)

समिति की बैठक दिनांक 15.03.2016 में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

समिति का निष्कर्ष एवं अनुशंसा :–

समिति ने इस प्रकरण के संबंध में समस्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। समिति ने श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के पत्र का अवलोकन किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा उद्धरण करने में त्रुटि हो सकती है कि लोक सेवा आयोग के 2011 के विज्ञापन को 2008 से जोड़ दिया गया हो क्योंकि सदन में आसन पर बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिन्हें देखकर उनको बहुत